फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :– **रजिया बानू** विपक्षी :– **मुबारिक हुसैन वगैरह**

किस्म मुकदमा :– **विविध आ.9नि.9 जा.दी.** पत्रावली संख्या :– **13/21 विविध**

जीसीएमएस नम्बर :– **2021/96**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 17.07.2025 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 जा.दी. पर सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। जहॉ तक प्रार्थना पत्र प्रस्तुति में हुऐ विलम्ब की अवधि का प्रश्न है तो इस संबंध में प्रार्थी का कथन है कि अधिवक्ता द्वारा हर समय न्यायालय में पेशी पर हाजिर नही होने हेतु एवं जरूरत होने पर बुलाने हेतु कह रखा था। अधिवक्ता द्वारा उपस्थित नही दी गई एवं हम प्रार्थीगण को भी अवगत नही कराया गया। इस कारण से प्रकरण अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज हो गया। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी को अपने अधिकारो के प्रति सजग रहना चाहिए था। परन्तु वैसे भी विलम्ब को क्षमा किये जाने बाबत् न्यायालय को लचीला दृष्टिकोण अपनाना चाहिये। इस कारण प्रार्थना पत्र प्रस्तुती में हुऐ विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जाता है एवं देरी की अवधि को कन्डोन किया जाता हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट् द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 अवधि अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं। मूल पत्रावली संख्या 193/13 वाद उनवान रजिया बानू बनाम मुबारिक हुसैन का अवलोकन किया। प्रकरण में दिनांक 26.08.2014 को वादी मय अधिवक्ता अनुपस्थित रहने पर वाद अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज किया गया था। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि मूल प्रकरण कृषि भूमि में घोषणा का था। जिसको केवल मात्र अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज किया गया। जिसमें कृषि भूमि में हक अधिकार तय नही किए गए। प्रकरण प्रारम्भिक स्टेज पर है। इस प्रार्थी द्वारा बताए गए विभिन्न कारणों से सहमत है। प्रकरण कृषि भूमि में घोषणा का होने से प्रार्थीगण के हितो पर प्रतिकुल प्रभाव पडेगा। मूल प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिया	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 18:08:43 IST
Reason: SelfAttested

जाकर उभय पक्षकारो को सुनवाई का अवसर देते हुए प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारित किया जाता है तो किसी भी पक्षकार के हितो पर प्रतिकुल प्रभाव नही पड़ेगा। इस कारण से मूल वाद को पुनः नम्बर पर लिया जाकर सुना जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायहित में उचित पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 जा.दी. का 200/— दो सो रूपया कोस्ट पर स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय के प्र.स. 193/13 वाद उनवान रजिया बानू बनाम मुबारिक हुसैन में पारित आदेश दिनांक 26.08.2014 को अपास्त किया जाता है तथा मूल वाद को पुनः नम्बर पर लिया जाने के आदेश दिये जाते है। प्रकरण में प्रार्थी उक्त कोस्ट की राशि राजकोष मे जरिये चालान जमा करा चालान की प्रति पत्रावली में पेश करे। प्रार्थना पत्र फैसल सुमार होकर मूल पत्रावली के साथ संलग्न रहे। अधिवक्ता प्रार्थी मूल वाद में दिनांक 09.10.2025 को उपस्थित रहे। निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया RAS)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 18:08:43 IST
Reason: SelfAttested